सतर्क राजस्थान

COVID-19
MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः सामान्य/चिकित्सा/2020/ 31082 दिनांक 21 अप्रेल, 2020 22

:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में कोविड–19, नोवल कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले की राजस्व सीमा (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत दिनांक 20/03/2020 से निषेधाज्ञा लागू की गयीं हैं एवं सम्पूर्ण जिला लॉक डाउन हैं।

कोरोना वॉयरस संक्रमण के दृष्टिगत भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थापित किए क्वारंटाईन सेन्टर की तर्ज कर जिले के सभी उपखण्ड स्तर पर (भीलवाड़ा को छोड़कर) कम से कम 200 बेड के क्वारंटाईन सेन्टर की स्थापना किए जाने हेतु निम्नानुसार अधिकारियो की कमेटी का गठन किया जाता हैं –

क0सं0	नाम अधिकारी एवं कार्यालय	विवरण
1.	संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा	अध्यक्ष
2.	संबंधित पुलिस उप अधीक्षक (जिन उपखण्ड़ में पुलिस उप अधीक्षक का पद नहीं हैं, वहां उपखण्ड मुख्यालय के थानाधिकारी)	सदस्य
3.	संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट	सदस्य
4.	संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति	सदस्य सचिव
5.	संबंधित अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका	सदस्य सहसचिव
6.	संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
7.	संबंधित उप कोषाधिकारी	सदस्य
8.	संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
9.	संबंधित छात्रावास अधीक्षक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य

उक्तानुसार गठित कमेटी द्वारा उपखण्ड़ स्तर पर क्वारंटाईन सेन्टर का चिन्हिकरण आज ही किया जाकर अवगत कराया जावे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार क्वारंटाईन सेन्टर की स्थापना दिनांक 25/04/2020 तक कर पालना से अवगत कराया जावे। क्वारंटाईन सेन्टर की स्थापना हेतु निम्न गाईड़ लाईन अनुसार कार्यवाही की जावे –

1.	उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट के निर्देशन में जिला स्तर पर स्थापित क्वारंटाईन सेन्टर के अनुरूप उपखण्ड़ स्तर पर कम से कम 200 बेड के एक या एक से अधिक क्वारंटाईन सेन्टर की स्थापना की जावे।
2.	क्वारंटाईन सेन्टर की स्थापना किए जाने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाईड़ लाईन की अक्षरशः पालना की जावे। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा तथा संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

3.	स्थापित किए जाने वाले क्वारंटाईन सेन्टर में भोजन, पेयजल, ठहरने की समुचित व्यवस्था की जावे।
4.	क्वारंटाईन सेन्टर में पर्याप्त संख्या में मास्क, हेडकेप, ग्लब्स की उपलब्धता हो, इसे आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावे।
5.	क्वारंटाईन सेन्टर एवं भोजन निर्माण स्थल को निरन्तर निश्चित समयान्तराल पर सेनेटाईज किया जावे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जावे।
6.	क्वारंटाईन सेन्टर एवं भोजन निर्माण स्थल की नियमित रूप से प्रतिदिन कम से कम 02 बार सफाई की जावे।
7.	क्वारंटाईन सेन्टर पर 24 घंटे चिकित्सक, नर्सिंग स्टॉफ की डयूटी लगायीं जावे। साथ पर्याप्त संख्या में अन्य कर्मचारी एवं सुरक्षा हेतु पुलिस जाप्ता लगाया जावे।
8.	क्वारंटाईन सेन्टर पर नियुक्त समस्त स्टाफ का प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जावे।
9.	क्वारंटाईन सेन्टर पर 24 घंटे हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जावे। सूचना सभी संबंधित तथा नियंत्रण कक्ष को भेजी जावे।
10.	गठित कमेटी द्वारा प्रतिदिन कम से कम एक बार आवश्यक रूप से क्वारंटाइन सेन्टर का निरीक्षण किया जावे। निरीक्षण में क्वारंटाइन सेन्टर में आधार–भूत व्यवस्थाएं एवं सेनेटाईशन को सुनिश्चित किया जावे।
11.	जिला स्तर पर स्थापित क्वारंटाइन सेन्टर में उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट माण्ड़ल एवं गंगापुर द्वारा पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व का निर्वहन किया गया हैं। अतः क्वारेन्टाइन सेन्टर स्थापना के संबंध में उनसे सम्पर्क कर समाधान करा सकते हैं एवं अनुभव प्राप्त किया जा सकता हैं
12.	उपखण्ड़ स्तर पर स्थापित किस क्वारंटाईन सेन्टर में किस व्यक्ति को रखा जाना हैं, इसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाडा अधिकृत होगे। क्वारंटाईन सेन्टर की स्थापना के तत्काल बाद वहां संक्रमित, संदिग्ध एवं उनके सम्पर्क में आए व्यक्तियो को क्वारंटाईन जा सकेगा।
13.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाडा उपखण्ड़ स्तर पर स्थापित क्वारंटाईन सेन्टर में प्रतिदिन भेजे जाने वाले व्यक्तियो की पूर्व सूचना संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट तथा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देगे। ताकि उनके द्वारा यथासमय समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं अपने स्तर पर सुनिश्चित की जा सके।
14.	क्वारंटाईन सेन्टर तथा उनमें रखे गये व्यक्तियो की सूचना, प्रभारी सर्वे प्रकोष्ठ जिला कार्यालय द्वारा को अपने स्तर पर निर्धारित प्रारूप में संकलित की जावेगी।

संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट क्वारंटाईन सेन्टर की स्थापना हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायीं होगें।

क्वारंटाईन सेन्टर की स्थापना एवं क्वारंटाईन किए गए व्यक्तियो की प्रतिदिन की सूचना सर्वे प्रकोष्ठ जिला कार्यालय, नियंत्रण कक्ष जिला कार्यालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा को निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से भिजवाई जावे।

कोरोना वायरस के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल के दृष्टिगत आदेश की अक्षरशः पालना सभी संबंधित द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जावे।

नोट – कमेटी के किसी भी सदस्य द्वारा उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट का अपेक्षित सहयोग नहीं करने, लापरवाही बरतने की स्थिति में उनके विरूद्व नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957"** एवं **"The National Disaster Management Act, 2005"** में प्रदत्त शक्तियो के तहत नियमान्तर्गत कार्यवाही किए जाने के प्रस्ताव उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट द्वारा स्थापना अनुभाग जिला कार्यालय को भिजवाये जावे।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त, अजमेर
5. महानिरीक्षक, पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
7. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
8. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
9. प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, जिला कार्यालय
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
11. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
12. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा
13. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा
14. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
15. श्री राजेश सुवालका, आरएएस प्रोबेशनर, सहायक कलक्टर, माण्ड़ल
16. जिला कोषाधिकारी, भीलवाड़ा
17. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
18. प्राचार्य, राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा
19. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
20. लेखाधिकारी, जिला कार्यालय ,भीलवाड़ा
21. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा
22. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा
23. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, भीलवाड़ा
24. समस्त पुलिस उप अधीक्षक, जिला भीलवाड़ा
25. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा
26. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
27. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
28. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
29. समस्त थानाधिकारी, पुलिस स्टेशन, जिला भीलवाड़ा
30. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
31. समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
32. समस्त छात्रावास अधीक्षक, सामा0 न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिला भीलवाड़ा
33. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

s@nv@n 75 97979 3939